

पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच

चर्चा में क्यों?

- 18 सितंबर, 2023 को बहिर की राजधानी पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द ही शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच बनने के बाद कारोबारी पटना हाइकोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे।

प्रमुख बदि

- जीएसटी कानून के तहत वभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर नकाली गई डमिांड पर पहली अपील कमशिनर के पास की जाती है अगर कोई कारोबारी कमशिनर की सुनवाई से संतुष्ट न हो तो उन्हें पटना हाइकोर्ट जाना पडता है।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल में रजसिटरशन रजिक्ट रफिंड, इ-वे बलि, आइटीसी से संबधति मामले और वविादति जीएसटी संबधति मामलों का कम समय में नबिटारा होगा।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल में 4 सदस्यों की नयुक्ता होगी, जसिमें दो न्यायकि और दो टेकनकिल सदस्य होंगे।



//